संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2011

विषयः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 9 मई, 2000 एवं संपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के द्वारा मानकों का निर्धारण करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतन आदि के संबंध में मार्गदर्शन सिद्धान्त/दिशा निर्देश दिये गये है। शासन के संज्ञान में आया है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों मे कार्यरत शिक्षकों को अत्यन्त कम वेतन का भुगतान हो रहा है और उन्हें कतिपय अन्य सुविधायें भी प्राप्त नहीं हो रही हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नवत मार्गदर्शन दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

(1) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के एक ही खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रतिमाह विभिन्नपाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा।

(2) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की संविदा अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 9 मई, 2000 एवं संपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि प्रथम पांच वर्ष की संविदा समाप्त होने पर प्रबन्धतंत्र फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने में पूर्व कार्यरत शिक्षकों जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न हो, के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा और पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार में शामिल करने अथवा विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् उनकी संविदा को अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण हो जायेगा। तद्क्रम में यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर प्रबन्धतंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल उपस्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) महाविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम से संबंधित खाता पृथक होगा जिस खाते का आवश्यक रूप से वार्षिक आडिट कराया जायगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक विश्वविद्यालय/शासन को आडिट रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायगी।

(4) सभी अनुदानित महाविद्यालयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन संविदा पर रखे गये कार्यरत शिक्षकों से कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरियेंटेशन/वर्कशाप में भाग लेने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(5) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों हेतु शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97,दिनांक 09 मई, 2000 में सी0पी0एफ0 व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू किया जाना प्राविधानित है। ऐसे शिक्षक जिस दिनांक से शिक्षण कार्य कर रहे है उस तिथि/माह से सी0पी0एफ0 योजना लागू की जाय तथा प्रत्येक वर्ष सी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि की सालाना सूचना विश्वविद्यालय एवं शासन को प्रेषित की जायेगी।

(6) अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम है उनके खोले जाने की अनुमति शासन से दी जाती है अतः यदि किसी पाठ्यक्रम में अगले की संख्या शून्य हो जाती है तो महाविद्यालय अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय की अनुमति से ही ऐसे पाठ्यक्रम को बन्द किया जा सकता है। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के जारी होने की तिथि से लागू किया जाये।

2- उक्त प्राविधान अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित संकायों में कार्यरत शिक्षकों पर ही लागू होंगे।

3- उपरिसंदर्भित शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 9 मई, 2000 संशोधित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 के शेष प्राविधान शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्थाओं को लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय की परिनियमावली में तदनुसार प्राविधान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या-3248(1)/सत्तर-2-2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वे सभी महाविद्यालयों को अनुपालन हेतु निर्देशित कर दें।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को भी इस निर्देश के साथ कि उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
(4) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग
(5) निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग।
(6) वेब मास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(7) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/5178
दिनांक : 03-2-2020

सेवा में,
सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय / महोदया,

आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों / संस्थानों में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की चयन समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन, तीन वर्ष के लिए करते हुए पत्र निर्गत किया गया था।

उपरोक्त सभी अनुमोदन पत्रों को शासनादेश संख्या–2218 / सत्तर–2–2011–16(409) / 2010 दिनांक 23 अगस्त 2011 के आलोक में संशोधित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ऐसे समस्त पत्रों का निर्गत तिथि से अनुमोदन, पाँच वर्ष के लिए अनुमन्य होगा।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

3.2.2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि:–
01. व्यैक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)